

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.
दिनांक:- / / 2016

कमांक:-भू.अ./2016/
प्रेषिति,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री रमेश चन्द्र पुरोहित पिता रघुनन्दन पुरोहित नि...
पुरोहित का प.ह. मुम्बाडिया के राजस्व ग्राम पुरोहित का में जमाबन्दी संवत 2178-81
की खाता संख्या 446 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.
ने सम्मानजनक जाति/नाम रमेश चन्द्र पुरोहित किये जाने की रिपोर्ट की है।
सम्मानजनक जाति/नाम रमेश चन्द्र पुरोहित का अंकन पुरोहित रिकार्ड में किया जाना
उचित है। दोनों जातियाँ (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबंधित जाति) अनुरूचित जाति
श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42
(बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

Kohr
तहसीलदार चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

कमांक:-रीडर/2016/
निमित्त, 2025 1065

दिनांक:- / / 2016

18/12/2025

पटवार हल्का मुम्बाडिया

विषय:-सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बावत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री रमेश चन्द्र पुरोहित पिता रघुनन्दन पुरोहित
राजस्व ग्राम पुरोहित का प.ह. मुम्बाडिया की खाता संख्या 446 में
जाति/नाम रमेश चन्द्र पुरोहित दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व
पहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जाति/नाम
सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री रमेश चन्द्र पुरोहित पिता रघुनन्दन पुरोहित
जाति/नाम रमेश चन्द्र पुरोहित एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित दर्ज
करने की स्वीकृत एपीए द्वारा दी जाती है। प.ह. मुम्बाडिया राजस्व रिकार्ड में
उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

प्रतिलिपि:-तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

ग्राम का नाम
पटवार हल्का
भू.अ.नि.
दिनांक

661
2025
1